



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट:- थाना चांदपुर

दिनांक 06.02.2024

थाना चांदपुर पुलिस ने दो अभियुक्तों को अवैध शस्त्रों सहित किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही :-

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अवैध शस्त्रों के निर्माण/बिक्री/परिवहन में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना चांदपुर पुलिस द्वारा अभियुक्त विशाल पुत्र जबर सिंह निवासी ग्राम सदाफल थाना स्योहारा जनपद बिजनौर को एक अवैध पिस्टल 32 बोर मय दो जिन्दा कारतूस 32 बोर तथा अभियुक्त अनस पुत्र इरफान निवासी ग्राम पिपली जट थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर को एक अवैध तमंचा 315 बोर मय एक जिन्दा कारतूस 315 बोर सहित गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना चांदपुर पर मु0अ0सं0 64/2024 धारा 3/9/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया । विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।



गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता :-

1. विशाल पुत्र जबर सिंह निवासी ग्राम सदाफल थाना स्योहारा जनपद बिजनौर ।
2. अनस पुत्र इरफान निवासी ग्राम पिपली जट थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर ।

बरामदगी विवरण:-

1. एक अवैध पिस्टल 32 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस 32 बोर (अभियुक्त विशाल से बरामद) ।
2. एक अवैध तमंचा 315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर (अभियुक्त अनस से बरामद) ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

1. उ0नि0 श्री विकास कुमार थाना चांदपुर जनपद बिजनौर ।
2. मु0आरक्षी 438 गजेन्द्र थाना चांदपुर जनपद बिजनौर ।
3. आरक्षी 2070 मोहित थाना चांदपुर जनपद बिजनौर ।
4. आरक्षी 1154 चरणदास थाना चांदपुर जनपद बिजनौर ।
5. आरक्षी 1244 अनुज बाना थाना चांदपुर जनपद बिजनौर ।



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट:- थाना शेरकोट

दिनांक 06.02.2024

**थाना शेरकोट पुलिस ने मु0अ0सं0 27/2024 धारा 376AB भादवि व धारा 5m/6
पॉक्सो एक्ट में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।**

संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 05.02.2024 को वादी ने थाना शेरकोट पर तहरीर दी कि अभियुक्त अंकित पुत्र छत्रपाल निवासी ग्राम मिर्जापुर थाना शेरकोट जनपद बिजनौर द्वारा वादी की पुत्री के साथ गलत कार्य किया गया । तहरीर के आधार पर थाना शेरकोट पर मु0अ0सं0 27/2024 धारा 376AB भादवि व धारा 5m/6 पॉक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया ।



कार्यवाही :-

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना शेरकोट पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त अंकित पुत्र छत्रपाल निवासी ग्राम मिर्जापुर थाना शेरकोट जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया । विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता :-

अंकित पुत्र छत्रपाल निवासी ग्राम मिर्जापुर थाना शेरकोट जनपद बिजनौर ।

अभियुक्त अंकित का आपराधिक इतिहास:-

- 1.मु0अ0सं0 200/2021 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना शेरकोट जनपद बिजनौर ।
- 2.मु0अ0सं0 279/2021 धारा 8/20 एन0डी0पी0एस0 एक्ट थाना शेरकोट जनपद बिजनौर ।
- 3.मु0अ0सं0 27/2024 धारा 376AB भादवि व धारा 5m/6 पॉक्सो एक्ट थाना शेरकोट जनपद बिजनौर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

- 1.उ0नि0 श्री धीरज सिंह थानाध्यक्ष थाना शेरकोट जनपद बिजनौर
- 2.उ0नि0 श्री गौरव कुमार थाना शेरकोट जनपद बिजनौर ।
- 3.का0 979 सचिन कुमार थाना शेरकोट जनपद बिजनौर ।
4. का0 1363 रामकुमार थाना शेरकोट जनपद बिजनौर ।
- 5.का0 1731 गजेन्द्र सिंह थाना शेरकोट जनपद बिजनौर ।



जनपद बिजनौर
प्रेस नोट – थाना नगीना

दिनांक 06.02.2024

थाना नगीना पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 18/24 धारा 323/308 भादवि में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण—

दिनांक 20.01.2024 को वादी श्री विकास पुत्र अमीचन्द सिंह निवासी ग्राम चमरावाला थाना नगीना जनपद बिजनौर ने थाना नगीना पर तहरीर दी कि अभियुक्तगण द्वारा वादी के सिर पर लोहे के कड़े से वार किया जिससे वादी को चोटें आयी और बेहोश हो गया। तहरीर के आधार पर थाना नगीना पर मु0अ0सं0 18/24 धारा 323/308 भादवि बनाम 1.अश्वनी उर्फ सोनू उर्फ डोरीलाल 2. राहुल पुत्र बब्लू नि0 ग्राम चमरावाला थाना नगीना जनपद बिजनौर पंजीकृत किया गया।



कार्यवाही—

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 06.02.2024 को थाना नगीना पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 18/24 धारा 323/308 भादवि में वांछित अभियुक्त अश्वनी उर्फ सोनू पुत्र श्याम सिंह निवासी ग्राम चमरावाला थाना नगीना जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। शेष अभियुक्त राहुल उपरोक्त की गिरफ्तारी के प्रयास जारी है। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता—

1.अश्वनी उर्फ सोनू पुत्र श्याम सिंह नि0 ग्राम चमरावाला थाना नगीना जनपद बिजनौर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम—

- 1—उ0नि0 श्री विनोद कुमार थाना नगीना जनपद बिजनौर।
- 2—का0 2519 अंकित थाना नगीना जनपद बिजनौर।



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना किरतपुर

दिनांक – 06.02.2024

थाना किरतपुर पुलिस ने मु0अ0सं0 64/2024 धारा 307/504/506 भादवि में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 05.02.2024 को वादी सुलेमान पुत्र इरशाद निवासी ग्राम सराय इम्मा थाना किरतपुर जनपद बिजनौर ने थाना किरतपुर पर तहरीर दी कि अभियुक्त नबील पुत्र इरशाद निवासी ग्राम सराय इम्मा थाना किरतपुर जनपद बिजनौर द्वारा वादी के भाई के साथ गाली गलौच करते हुए रॉड से मारपीट की गई। तहरीर के आधार पर थाना किरतपुर पर मु0अ0सं0 64/2024 धारा 307/504/506 भादवि पंजीकृत किया गया।



कार्यवाही –

जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना किरतपुर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त नबील पुत्र इरशाद निवासी ग्राम सराय इम्मा थाना किरतपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

नबील पुत्र इरशाद निवासी ग्राम सराय इम्मा थाना किरतपुर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

- 1.उ0नि0 श्री योगेश कुमार थाना किरतपुर जनपद बिजनौर।
- 2.का0 1951 आबिद थाना किरतपुर जनपद बिजनौर।
- 3.का0 1120 राहुल थाना किरतपुर जनपद बिजनौर।



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना धामपुर

दिनांक – 06.02.2024

थाना धामपुर पुलिस द्वारा हत्या की घटना का अनावरण करते हुये अभियुक्त को घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल, मृतक के कपडे व मोबाइल फोन आदि सहित किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 30.01.2024 को श्री शिवचरण सिंह पुत्र गणेशी निवासी ग्राम हकीमपुर मेघा थाना धामपुर जनपद बिजनौर द्वारा थाना धामपुर पर अपने पुत्र महेन्द्र (उम्र करीब 45 वर्ष) की गुमशुदगी दर्ज कराते हुये सूचना दी गयी कि महेन्द्र उपरोक्त दिनांक 29.01.2024 को घरेलू सामान लाने धामपुर गया था जो वापस नही आया हैं। इस संबंध में तत्काल थाना धामपुर पर गुमशुदगी दर्ज की गयी तथा टीमे गठित कर गुमशुदा की तलाश शुरू की गयी।



कार्यवाही –

गुमशुदगी की जाँच से यह तथ्य प्रकाश में आये कि मृतक महेन्द्र की पत्नी कमलेश का मनोज पुत्र राजपाल निवासी ग्राम तीबड़ी थाना धामपुर जनपद बिजनौर के साथ प्रेम-प्रेसंग था, जिसका महेन्द्र विरोध करता था। इसी कारण महेन्द्र की पत्नी कमलेश ने अपने प्रेमी मनोज व एक अन्य साथी विकास त्यागी निवासी कस्बा व थाना मुरादनगर जनपद गाजियाबाद के साथ मिलकर अपने पति महेन्द्र की हत्या करने की योजना बनाई तथा महेन्द्र की हत्या कर शव को कहीं छिपा दिया हैं। अभियुक्त मनोज उपरोक्त को पुलिस हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की गयी तो अभियुक्त मनोज उपरोक्त ने अपने जुर्म का इकबाल किया और मृतक महेन्द्र की हत्या कर शव को बगदाद अंसार रोड़ पर स्थित महाराणा प्रताप स्कूल के गटर में छिपा देना स्वीकार किया।

आज दिनांक 06.02.2024 को अभियुक्त मनोज उपरोक्त की निशादेही पर महाराणा प्रताप स्कूल बगदाद अंसार रोड़ से मृतक महेन्द्र का शव गटर से बरामद किया गया तथा शव को पंचायतनामा की कार्यवाही के उपरान्त पोस्टमार्टम हेतु मोर्चरी भेजा गया। वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। अभियुक्त मनोज की निशादेही पर घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल हसिया, मृतक के जले हुये कपड़े व मोबाईल आदि बरामद किया गया। मृतक के भाई कोमल सिंह की तहरीर के आधार पर गुमशुदगी को मु0अ0सं0 52/2024 धारा 302/201 भादवि मे तरमीम कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही हैं। अभियोग में शेष अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे हैं।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

1.मनोज पुत्र राजपाल निवासी ग्राम तीबड़ी थाना धामपुर जनपद बिजनौर

बरामदगी –

घटना मे प्रयुक्त आलाकत्ल (हसिया),
मृतक के जले हुये कपड़े व मोबाईल फोन आदि

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

- 1.प्रभारी निरीक्षक श्री किशन अवतार थाना धामपुर जनपद बिजनौर
- 2.निरीक्षक अपराध श्री अता मौहम्मद थाना धामपुर जनपद बिजनौर
- 3.उ0नि0 श्री हरेन्द्र सिंह थाना धामपुर जनपद बिजनौर
- 4.हे0कां0 448 राजेश कुमार थाना धामपुर जनपद बिजनौर
- 5.कां0 752 रविमान थाना धामपुर जनपद बिजनौर
- 6.कां0 2474 आकाश थाना धामपुर जनपद बिजनौर
- 7.कां0 2062 धर्मेन्द्र थाना धामपुर जनपद बिजनौर



प्रेस नोट – जनपद बिजनौर

दिनांक:- 06.02.2024

जनपदीय पुलिस द्वारा 15 वारंटी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार ।

जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चल रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 06.02.2024 को जनपदीय पुलिस द्वारा 15 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया । जिनका विवरण निम्नवत है:-

क्र०सं०	नाम थाना	गिरफ्तार वारंटी अभियुक्तगण का नाम व पता
1.	नजीबाबाद	मौ० शकील पुत्र मौ० जमील नि० ग्राम दरियापुर थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर
2.	नजीबाबाद	सरफराज पुत्र अख्तर नि० ग्राम लुकादडी थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर
3.	नजीबाबाद	राकेश कुशवाह पुत्र हरीसिंह नि० मौ० भवन कस्बा व थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर
4.	मंडावर	ओमदत्त पुत्र सुखलाल निवासी ग्राम कुन्दनपुर थाना मंडावर जनपद बिजनौर
5.	मंडावर	राजतुमर उर्फ राजा पुत्र मदन सिंह निवासी दौलतपुर थाना मंडावर जनपद बिजनौर
6.	मंडावर	जितेश उर्फ काले पुत्र नरेन्द्र निवासी कबुलपुर थाना मंडावर जनपद बिजनौर
7.	कोतवाली शहर	चन्दन वाईन पुत्र मानेन्द्र वाईन निवासी धर्मनगरी थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
8.	कोतवाली शहर	अजीम उर्फ नाटी पुत्र इरफान निवासी मौहल्ला बुखारा थाना कोतवाली शहर बिजनौर
9.	कोतवाली शहर	कमर जहां पत्नी मुश्ताक निवासी ग्राम पेदा थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
10.	कोतवाली शहर	मोनिस पुत्र मुश्ताक निवासी ग्राम पेदा थाना कोतवाली नगर जनपद बिजनौर
11.	कोतवाली शहर	फेनिस पुत्र मुश्ताक नि० ग्राम पेदा थाना कोतवाली नगर जनपद बिजनौर
12.	कोतवाली शहर	विनय उर्फ काले पुत्र संजीव कुमार नि० बाखरपुर गढी थाना कोतवाली नगर बिजनौर
13.	किरतपुर	इरशाद उर्फ सददू पुत्र घसीटा निवासी मौ० अंसारियान कस्बा व थाना किरतपुर बिजनौर
14.	किरतपुर	वीरो देवी पत्नी रामगोपाल निवासी मौ० काजियान कस्बा व थाना किरतपुर बिजनौर
15.	नांगल	आसिफ पुत्र हमीद निवासी ग्राम लालपुर सोजीमल थाना नांगल जनपद बिजनौर



थाना नजीबाबाद



थाना मंडावर



थाना कोतवाली शहर



थाना किरतपुर



थाना किरतपुर



थाना नांगल



प्रेस नोट:- जनपद बिजनौर

दिनांक:- 06.02.2024

“ऑपरेशन कन्विकशन” अभियान के क्रम में थाना स्योहारा पुलिस एवं अभियोजन विभाग द्वारा की गई प्रभावी पैरवी से माननीय न्यायालय द्वारा चोरी के आरोपी अभियुक्त को 03 वर्ष के कारावास से किया दण्डित ।

कार्यवाही:-

अवगत कराना है कि दिनांक 20.11.2020 का वादी श्री सौरभ कुमार पुत्र भूपेन्द्र सिंह निवासी ग्राम सेलाखेडी थाना स्योहारा जनपद बिजनौर द्वारा अपनी मोटरसाइकिल को अज्ञात चोर द्वारा चोरी करने के संबंध में थाना स्योहारा पर मु0अ0सं0 600/20 धारा 379 भादवि पंजीकृत कराया गया । विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियुक्त गौरव पुत्र कलुवा निवासी मुण्डाखेडा थाना नौगावा सादात अमरोहा का नाम प्रकाश में आया । सम्पूर्ण विविध कार्यवाही पूर्ण करने के पश्चात अभियोग में आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया ।

इस अभियोग में स्थानीय पुलिस एवं मॉनिटरिंग सैल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके परिणामस्वरूप आज दिनांक 06.02.2024 को मा0 न्यायालय द्वारा मु0अ0सं0 600/20 धारा 379/411 भादवि से संबंधित अभियुक्त गौरव पुत्र कलुवा को 03 वर्ष के कारावास से दण्डित किया गया ।

दोषसिद्ध अभियुक्त का नाम पता:-

1- गौरव पुत्र कलुवा निवासी मुण्डाखेडा थाना नौगावा सादात जनपद अमरोहा ।